डॉ.(प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–06.07.2017 (गुरूवार) एवं 07.07.2017 (शुक्रवार) को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 39वीं बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – दिनांक 6.7.2007 की बैठक में सभापति एवं शेष सभी 6 सदस्य उपस्थित थे। किन्तु अत्यावश्यक कार्य से दिल्ली जाने के कारण वित्त विभाग के उप सचिव दिनांक–07.07.2017 की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे।

1. विगत 38वीं बैठक दिनांक–01.12.2016 की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। (ध्यातव्य हो कि वर्तमान कार्यकारिणी समिति के मात्र प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव ही पिछली बैठक में उपस्थित थे)।

2. **कार्यसूची की मद संख्या–02 :** विगत बैठक दिनांक–01.12.2016 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय, कार्यकारिणी समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्नाकित बिन्दुओं पर निर्णय लिए गए –

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–03 :

JAP-IT, झारखण्ड सरकार द्वारा Dedicated Leased Line के अधिष्ठापन के संबंध में प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय ने बताया कि Second Leased Line का कार्य नहीं हो पाया है। JAP-IT के प्रतिनिधि सैयद मुमताज हूसैन (Project Co-ordinator) जो बैठक में आमंत्रित होकर उपस्थित थे, ने बताया कि कार्य में विलम्ब के लिए 10 जुलाई, 2017 तक M/s Ricoh India Ltd. को स्पष्टीकरण का जबाब देने को कहा गया है।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–04 :

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा पूर्व में प्रशासी विभाग को समर्पित योजना एवं गैर–योजना बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–04 (ख) :

विद्यालय में नवनियुक्त कर्मियों के NPS (National Pension Scheme) के संबंध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री अखिलेश कुमार वाजपेयी ने बताया की वित्त विभाग ने अपने मंतव्य के साथ संचिका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को वापस कर दिया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने स्तर से यथाशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने का अश्वासन दिया।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–06 :

नेतरहाट विद्यालय के CBSE से संबद्धता के अनुक्रम में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विभागीय निर्देश के आलोक में संबंधित विषयक हार्ड कॉपी में आवश्यक गुण–दोष को समाहित करते हुए इसे पूर्व

के.कु. नाग
22.07.2017

में ही प्रशासी विभाग को समर्पित किया जा चुका है। सदस्यों का इस पर अभिमत है कि इस संबंध में झारखण्ड सरकार द्वारा ही यथोचित निर्णय लिया जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–07 :

नेतरहाट विद्यालय के स्थापना दिवस–2016 को प्रस्तुत प्राचार्य का वार्षिक प्रतिवेदन पारित किया गया।

पूर्व सभापति का त्रैवार्षिक प्रतिवेदन के संपुष्ट करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि सामान्य निकाय की अगली बैठक में अवगतार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–10 :

विद्यालय के नये Website के क्रियान्वयन संबंधी विषय पर सभापति एवं अन्य सदस्यों का यह विचार हुआ कि विद्यालय के नये Website को शीघ्रताशीघ्र Launch करने की प्रक्रिया अपनाई जाय। इसके लिए प्राचार्य को अधिकृत किया गया कि एजेंसी से आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसे शीघ्र निष्पादित करेंगे।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–11 :

श्री ओम प्रकाश तियु, शिक्षक, ने.आ.वि. की सेवा संपुष्टि विषय पर सभापति द्वारा प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि संबंधित संचिका में पूर्व सभापति की टिप्पणी को समाहित करते हुए अपने आत्मभारित प्रतिवेदन के साथ संचिका शीघ्र उपस्थापित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम सं.–12 :

कला शिक्षक की नियुक्ति संबंधी संचिका में सभापति से आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर प्राचार्य अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति संबंध में प्राचार्य द्वारा बताया गया कि चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र भेजा गया था, लेकिन उन्होंने योगदान नहीं किया। प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय चिकित्सा पदाधिकारी के नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

विद्यालय में चिकित्सा पदाधिकारी एवं नर्स कार्यरत नहीं रहने के कारण छात्र हित में सेवा निवृत्त कम्पाउडर श्री विद्युत कुमार चक्रवर्ती को वित्त विभाग के प्रावधानुसार संविदा पर कार्य करने हेतु रखा गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा दी गई।

3. **कार्यसूची की मद सं.–03 :** वर्षावकाश में 10वीं एवं इंटरमीडिएट के सभी छात्रों की परीक्षा संबंधी विशेष तैयारी हेतु P.L. (Prepation Leave) व्यवस्था के क्रम में प्राचार्य द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि दिनांक–20.7.2017 से इन छात्रों को P.L. में रोक कर उनकी तैयारी संबंधी संपूर्ण योजना बना ली गई है। प्राचार्य के इस प्रस्ताव पर समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

ह. [illegible] 22.07.2017

4. **कार्यसूची की मद सं.–04 :** विद्यालय के विगत (2017 में प्रकाशित) 10वीं एवं 12वीं परीक्षाफल की समीक्षा की गई। कार्यकारिणी के सदस्यों ने विद्यालय के परीक्षाफल में गिरावट पर चिंता व्यक्त की। सदस्यों ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ छात्रों के पाठन–पठन में सहयोग करें, साथ ही छात्रों को परीक्षा के लिए विशेष तैयारी करावें ताकि आगे परीक्षाफल विद्यालय के गरिमा के अनुरुप हो। प्राचार्य द्वारा भी आश्वस्त किया गया की इसे एक चुनौती के रूप में विद्यालय परिवार स्वीकार करते हुए इसके सुधार हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। सभापति एवं कार्यकारिणी के सदस्य, श्री विनोद कुमार कर्ण ने 04 जुलाई, 2017 को विद्यालय के आश्रमों एवं विद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस प्रकार के औचक निरीक्षण के लिए सभी सदस्यों ने सभापति एवं विद्यालय के पूर्व प्राचार्य, श्री कर्ण का सहृदय आभार व्यक्त किया।

5. **कार्यसूची की मद सं.–05 एवं 06 :** नेतरहाट प्रवेश परीक्षा सत्र–20116–17 की नामांकन की पूर्ण वस्तुस्थिति से प्राचार्य के द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया। इसी क्रम में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को बताया गया कि श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आयुक्त पलामू प्रमण्डल को नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वर्ष–2017 के नामांकन में हुई अनियमितता की जांच कर प्रतिवेदन भेजने का पत्र भेजा था।

आयुक्त,पलामू प्रमण्डल ने स्वयं 27.04.2017 को नेतरहाट जाकर विद्यालय में नामांकन संबंधी आवेदन पत्र एवं अन्य कागजातों की जांच की। आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विद्यालय स्तर से भी चूक हुई है।

नामांकन प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के लिए आयुक्त द्वारा दिये गये सुझाव तथा प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी सत्र में नामांकन हेतु निम्न प्रभावी कदम उठायें जायेंगे :–

प्रवेश परीक्षा में अधिक से अधिक छात्र सम्मिलित हों इसके लिए झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय के षष्ठ वर्ग (पंचम उतीर्ण) पढ़ने वाले प्रथम दस छात्रों का प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्कूली एवं साक्षरता विभाग की सहायता ली जाय।

साथ ही मान्यता प्राप्त प्राईवेट एवं मिशनरी विद्यालयों से भी अधिक से अधिक इच्छुक छात्रों को सम्मिलित कराने के लिए जिला में पदास्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षक अधीक्षक से भी सहयोग करने हेतु अनुरोध किया जाय। नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों (NOBA) से भी इस संबंध में सहयोग लिया जाय।

लिखित परीक्षा के आधार पर सफल सभी छात्रों के प्रमाण पत्रों एवं फर्जी विद्यालयों आदि का सत्यापन नामांकन से पूर्व कर लिये जाने का प्रावधान होना चाहिए ताकि यथासंभव अनियमितता न रह जाय।

ह.कु. नाग 22.07.2017

कार्यकारिणी समिति आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के बहुमूल्य सुझाव के लिए आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारिणी समिति को विश्वास है कि उपरोक्त प्रभावी कदम उठाने से आगामी प्रवेश परीक्षा के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होगी।

6. **कार्यसूची की मद सं.–07 :** वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए नेतरहाट विद्यालय समिति को प्रशासी विभाग द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान मद (वेतन एवं गैर–वेतन) की राशि को विभागीय स्वीकृत्यादेश सं.–16, दिनांक–09.06.2017 के आलोक में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने. वि.स. द्वारा प्रस्तावित विभिन्न मदों में आंतरिक विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. **कार्यसूची की मद सं.–08 :** वित्त विभाग के प्रभावी प्रवधानुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 की वेतन एवं गैर–वेतन मद की अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2017–18 कर्मियों के वेतनादि एवं विद्यालय के दिनानुदिन कार्यो के संदर्भ में किए गए व्ययों की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

8. **कार्यसूची की मद सं.–09 :** प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा विद्यालय में रिक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति संबंधी प्रस्तावित सूची के आलोक में सभापति का यह निर्देश हुआ कि रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार नियुक्ति हेतु तत्संबंधी प्रक्रिया शीघ्र अपनाई जाय।

9. **कार्यसूची की मद सं.–10 :** भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल लातेहार स्तर से किए जा रहे विभिन्न आश्रमों एवं भवनों के नवनिर्माण कार्यो के प्रसंग में बैठक में उपस्थित विशेष आमंत्रित सदस्य – श्री प्रह्लाद मेहता, कार्यपालक अभियंता, लातेहार एवं सहायक अभियंता, – श्री कृपानाथ चौधरी को सभापति द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कुछेक आश्रमों का निर्माण कार्य पूर्णतः असंतोषप्रद है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। निर्माण कार्यो का पूर्ण अनुश्रवण उनके स्तर से किया जाना अपेक्षित था, जिसे ससमय सुधारा जा सकता था। सभापति के निर्देश पर बैठक में उपस्थित विशेष आमंत्रित सदस्य – श्री नेल्सन एयोन बागे, अपर समाहर्ता, लातेहार द्वारा सभापति एवं अन्य सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि कार्यो के संबंध में कोई त्रुटि न हो इसे ध्यान में रखते हुए एदतर्थ संबंधी निर्देश कार्यपालक अभियंता को उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से भी समय समय पर देते रहेंगे। सभापति द्वारा कार्यपालक अभियंता को यह भी निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य पूर्णतः शिथिल है। अतएव, निर्माण कार्यो में तीव्रता लायें तथा ऑडिटोरियम का संपूर्ण कार्य अगस्त, 2017 माह के अन्त तक अथवा सितम्बर, 2017 माह के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करके हस्तगत करने की प्रक्रिया शीघ्र अपनाएं। कार्यपालक अभियंता को यह भी निर्देश दिया गया कि कुछेक शिक्षकेतर कर्मियों जिनका आवास अत्यंत जर्जर स्थिति

ह. [illegible] 22.07.2017

में है, को प्राक्कलन के अनुसार शीघ्र करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ प्रत्येक माह संपूर्ण निर्माण कार्यों की यथास्थिति से समिति को अवगत करायें।

10. **कार्यसूची की मद सं.–11 :** प्राचार्य के द्वारा बताया गया कि विद्यालय अतिथिगृह में Out House सहित तीन अन्य लघुनिर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार स्तर से प्राप्त हो चुकी है; अतएव इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. से अपेक्षित है। विमर्शोपरांत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा यह निर्देश दिया गया कि इन कार्यों को भवन प्रमंडल स्तर से ही कराया जाय।

11. **कार्यसूची की मद सं.–12 :** नेतरहाट आवासीय विद्यालय के वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किए गये लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण से संबंधी वित्त विभाग एंव महालेखाकार का प्रतिवेदन अगली कार्यकारिणी की समिति की बैठक में प्राचार्य प्रस्तुत करेंगे।

12. **कार्यसूची की मद सं.–13 :** प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा श्री पी.पी. महतो की नियुक्ति विषयक अंकेक्षण आपत्ति एवं विधिक परामर्श से सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राचार्य द्वारा यह बताया गया कि वित्तीय परिपालनों के आलोक में उनकी संविदा अवधि समाप्त की गई थी। बैठक में उपस्थित वित्त विभाग के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्यों के सम्यक विचारोपरांत इस कृत कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

13. **कार्यसूची की मद सं.–14 :** पूर्व कार्यकारिणी समिति द्वारा बाह्य कोचिंग के रूप में अनुबंधित किए गए मे. मैक्सीमा कंसेप्ट, राँची के अनुबंध अवधि विस्तार के क्रम में सदस्यों का यह सम्यक विचार हुआ कि फिलहाल अगस्त, 2017 तक ही इस व्यवस्था को जारी रखा जाय, आगे जारी रखने के लिए समिति सहमत नही है।

14. **कार्यसूची की मद सं.–16 :** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या WPS - 5065/2012 के संदर्भ में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री चरकु किसान, पिता स्व. सुरजा किसान को नेतरहाट विद्यालय में रिक्त मेल अटेंडेण्ड के पद पर की गई नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

15. **कार्यसूची की मद सं.–18 :** वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रशासी विभाग द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय को योजना मद में उपलब्ध कराई गयी 15.00 करोड़ की राशि को प्राचार्य द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल लातेहार के पक्ष में किए गए हस्तांतरण की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

16. **कार्यसूची की मद सं.–19 :** JAP-IT झारखण्ड सरकार के माध्यम से विद्यालय में किए जा रहे ICT Infrastructure & Software Solution से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित JAP-IT के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लम्बित कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु

ह. ह. 22.07.2017

JAP-IT कटिबद्ध है। इस पर सभापति द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया कि कार्यों को यथासंभव शीघ्र निष्पादित कराया जाय ताकि विद्यालय के छात्र इससे लाभान्वित हो सके। JAP-IT के प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक प्रक्रिया अपनाने हेतु 10 जुलाई, 2017 तक की समय सीमा की मांग की गई। JAP-IT के इस अनुरोध को सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

17. **कार्यसूची की मद सं.–20 :** विद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं कर्मियों से प्रावधानुसार सेवा लेने संबंधी प्राचार्य के प्रस्ताव पर विचार किया गया। तद्नुसार, सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि वैसे कर्मियों जिनकी सेवा लेनी आवश्यक हो उनकी कार्यशैली अंकित करते हुए प्राचार्य अपने आत्मभारित टिप्पणी के साथ तत्संबंधित प्रस्ताव समय–समय पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें कार्य पर रखने हेतु विचार किया जा सके।

18. **कार्यसूची की मद सं.–21 :** *"समिति नियमावली–323 : दिनांक–23.10.2009 एवं समिति की नियुक्ति शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली 2011 में वर्णित उप–प्राचार्य की नियुक्ति विषयक विन्दुओं पर आवश्यक विचार–विमर्श"* विषय पर चर्चा के दौरान वरीयतम शिक्षक श्री राम नरेश सिंह और बाद में, अलग से उप–प्राचार्य, श्री अंशुमान चटर्जी को आमंत्रण दे कर उनसे जानकारी ली गई। विचारोपरान्त कार्यकारिणी समिति ने इस विषय पर उचित निर्णय के लिए सभापति को अधिकृत किया।

समिति के समक्ष श्री राम नरेश सिंह जी ने बताया कि वे पूर्व प्राचार्य श्री विंमलांशु शेखर मल्लिक के समय उप प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे और श्री मल्लिक के विद्यालय को त्यागने के बाद, प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य करते रहे। श्री मल्लिक की नियुक्ति के समय में जो विज्ञापन प्राचार्य के लिए किया गया था उसमें उन्होंने भी कई वरीय शिक्षकों के साथ–साथ अपना आवेदन प्राचार्य पद के लिए दिया था। किन्तु प्राचार्य पद पर श्री मल्लिक की नियुक्ति हुई और वरीयतम शिक्षक होने के कारण वे उप–प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे।

किन्तु जब *मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार अधिसूचना 4 फरवरी, 2012, में वर्णित नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय की दिनांक–16 नवम्बर,2011 की बैठक में नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले शिक्षक/शिक्षिकेत्तर कर्मियों की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित नियुक्ति सेवा शर्त्त तथा*

ह. ह. ना॰ 22.07.2017

अनुशासन नियमावली (Recruitment, Service Condition and Disciplinary Rules) 2011 के *अनुमोदन* के फलस्वरूप प्राचार्य पद के लिए आवेदन मांगा गया तब उसमें प्राचार्य के आवेदन की उम्र सीमा कम से कम 45 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष रखे जाने के फलस्वरूप न केवल श्री राम नरेश सिंह बल्कि कई अन्य वरीय शिक्षक भी, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक हो गई थी, वे प्राचार्य पद के लिए आवेदन करने से वंचित रह गये।

प्राचार्य पद पर विद्यालय के ही शिक्षक श्री विंध्याचल पाण्डेय जी की नियुक्ति 11 मार्च, 2016 को हुई। उनके समय भी उप-प्राचार्य के रूप में वे, दिनांक- 06 सितम्बर, 2016 तक (जिस दिन उप-प्राचार्य के रूप में श्री अंशुमान चटर्जी, जो विद्यालय के कई लोगों से कनीय शिक्षक थे, की नियुक्ति के बाद योगदान हो गया) कार्यरत थे।

श्री अंशुमान चटर्जी, उप-प्राचार्य ने बताया की उनकी नियुक्ति नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली अधिसूचना 4 फरवरी, 2012 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में शिक्षकों में से आंतरिक विज्ञापन के बाद Vice-Principal by Selection के रूप में हुई और वे दिनांक-06 सितम्बर, 2016 से कार्यरत हैं। वे तब से संतोषजनक कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।

नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति के माननीय सदस्य, भूतपूर्व प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, श्री विनोद कुमार कर्ण जी के साथ, दिनांक-05 जुलाई, 2017 को औचक निरीक्षण के बाद, सभापति ने विद्यालय के वरीय सह-शिक्षकों से बात-चीत के क्रम में यह अनुभव किया कि सभी सह-शिक्षक *उक्त नियमावली अधिसूचना 4 फरवरी, 2012 के कारण काफी आहत हैं जिसमें प्राचार्य की उम्र सीमा 45 वर्ष से 55 वर्ष है और "Vice-Principal by Selection from amongst the Teachers having a minimum of 5 years satisfactory service as a Teacher (Assistant Master/Counsellor - Grade I in Netarhat Residential School.'* वर्णित है।

ह० दु० गाग
22.07.2017

विद्यालय के पिछले वर्ष अर्थात् 2017 की 10वीं परीक्षाफल में अप्रत्याशित गिरावट का एक प्रमुख कारण वरीय शिक्षकों के मन में इस नियमावली के कारण उदासीनता परिलक्षित प्रतीत होती है।

अतः सभापति ने यह निर्णय लिया कि, अगले आदेश तक, विद्यालय के वरीयतम शिक्षक को शिक्षण–सम्बन्धी कार्यो का प्रभारी बनाया जाय और उप–प्राचार्य के पद पर आसीन शिक्षक को प्रशासनिक प्रभारी बनाया जाय। दोनों ही प्रभारी, नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य के दिशा–निर्देश पर अगले अपने–अपने कार्य को सुचारू रुप से करते रहें, ताकि विद्यालय के हित में शैक्षिणक व प्रशासनिक वातावरण में सभी का सहयोग और रूचि बनी रहे।

उप–प्राचार्य, श्री अंशुमान चटर्जी को 10% अतिरिक्त विशेष वेतन–भत्ता के विषय में झारखण्ड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक–01/न.1–01/2017...29 दिनांक–03.02.2017 का अनुपालन तत्काल किया जाय।

19. **कार्यसूची की मद सं.–22 :** *श्री विंध्याचल पाण्डेय को प्राचार्य के पद पर वेतनमान 37400–67000, G.P - 8700/- में नियुक्ति की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा MACP संबंधी अधिसूचना संख्या–01/ने.7–02/2003–30 दिनांक–09.02.2017 के द्वारा श्री पाण्डेय को समान वेतन एवं ग्रेड पे की स्वीकृति होने के फलस्वरुप वेतन संरक्षण के संबंध में विचार के क्रम में* प्राचार्य, श्री पाण्डेय ने इच्छा व्यक्त की कि चूकि मामला उनसे संबंधित है इसलिए उन्हें कक्ष से बाहर रहने की अनुमति दी जाय। उनकी अनुपस्थिति में संबंधित विषयक समुचित निर्णय लेने हेतु सभापति को अधिकृत किया गया।

सभापति ने श्री पाण्डेय को समान वेतन एवं ग्रेड पे की स्वीकृति होने के फलस्वरुप वेतन संरक्षण के संबंध में निर्णय लिया कि नियमानुकुल प्रशासी विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा जाय कि कार्यकारिणी समिति इसमें सैद्धन्तिक सहमति प्रदान करती है और उन्हें उचित वेतन संरक्षण के संबंध में यथोचित नियमानुकुल निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव करती है।

श्री पाण्डेय की प्राचार्य के पद पर संविदा पर नियुक्ति दिनांक–11 मार्च, 2016 को हुई और उन्हें एक वर्ष के परीक्ष्यमान अवधि (Probation period) में रखे जाने का प्रावधान रखा गया था। उनका एक वर्ष दिनांक–10 मार्च, 2017 को पूरा हो गया।

दिनांक–16.12.2016 तक ही पूर्व कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल था। किन्तु इस समिति की कार्यवधि समाप्ति के बाद जो नई नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति का गठन होना था वह

ह०/– 22.07.2017

कतिपय अपरिहार्य कारणों से दिनांक–19.06.2017 के पूर्व तक नहीं हो सका। तत्कालीन सभापति, श्री नरेन्द्र भगत जी ने श्री पाण्डेय के कार्य संपादन के संबंध में दिनांक–10.01.2017 को जो (Performance Appraisal Report) दिनांक–11.03.2016 से 16.12.2016 तक के कार्य मूल्यांकन के विषय में लिखा है कि .... *"The way things have started looking up for this Institition since his joining at the top, I am inclined to recommend for a longer tenure for him."…. "However, here is a word of caution for Shri Pandey to make a note. As per terms of his appointment as Principal, an NOC from his previous appointing authority needed to be submitted to NVS EC, continues to be awaited, this needs to be expedited well ahead of completion of his one year of probation period"*

श्री पाण्डेय का अनापत्ति पत्र (NOC) दिनांक–11.07.2017 (पत्रांक–01/न.1–01/2016....169) को सभापति को प्राप्त हो गया है।

विदित हो कि दिनांक–17.12.2016 से 27.06.2017 तक नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति में रिक्ति (वर्तमान कार्यकारिणी समिति के दो सदस्यों एवं सभापति ने दिनांक–28.06.2017 को योगदान दिया) के कारण प्राचार्य ने लगभग सात माह तक जो कार्य किया उसके मूल्यांकन के विषय में वर्तमान सभापति को कोई जानकारी नहीं है।

इसी बीच (अर्थात् 17.12.2016 से 27.06.2017 तक) विद्यालय में कुछ प्रमुख निम्नांकित घटनाएं भी घटी :

(i) विद्यालय के 10वीं कक्षा के परीक्षाफल में गिरावट ।
(ii) विद्यालय के एक छात्र की दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु।
(iii) नेतरहाट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की जांच।
(iv) प्रशासी विभाग द्वारा इस कालावधि में प्राचार्य को स्पष्टीकरण मांगना।
(v) तत्कालीन नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति के दिनांक–16.12.2016 को कार्यावधि समाप्ति के फलस्वरूप नयी कार्यकारिणी समिति गठित हो सके इसके लिए उनके द्वारा जो भी कदम उठाये गये और पत्राचार किये गये उन सभी की जानकारी कार्यकारिणी समिति को नहीं होना।
(vi) उक्त कालावधि में यदि कोई भवन निर्माण/क्रय–विक्रय संबंधी कार्य किये गये तो उनसे संबंधित कार्य के प्रस्ताव के निर्णय लिये जाने संबंधित प्रशासी विभाग/तत्कालीन

ह॰ कु॰ भाग्य 22.07.2017

कार्यकारिणी समिति का संकल्प और निर्णय की जानकारी वर्तमान कार्यकारिणी समिति को नहीं होना।

उक्त सभी घटनाओं/जानकारियों के संबंध में प्राचार्य अपना प्रतिवेदन सभापति को तीन माह के अन्तर्गत समर्पित कर दें।

उनके प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात ही उनके प्राचार्य के रूप में सेवा संपुष्टि पर कार्यकारिणी समिति निर्णय करेगी। अतः प्राचार्य, श्री विंध्याचल पाण्डेय जी की परीक्ष्यमान अवधि अगले पांच माह तक अर्थात् दिनांक–22.12.2017 तक बढ़ा दी जाती है।

20. बैठक की कार्यसूची में पूर्व संसूचित मद सं.–15,17 एवं 18 तथा 38वीं बैठक के कृत अनुपालन की क्रम सं.-13(क),(ख) एवं (ग) पर समायाभाव के कारण बैठक में विचार–विमर्श नहीं किए जा सके। अतएव, यह निर्णय लिया गया कि उन्हें आगामी बैठक की कार्यसूची में दर्ज किया जाय। तद्नुसार, निम्नलिखित विषयों को कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी –

(क) नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों द्वारा अपने कार्य–दायित्वों के अतिरेक भिन्न प्रकृति के कार्य–दायित्वों के निष्पादन हेतु सरकार के प्रभावी प्रावधानानुसार क्षतिपूरक भत्ता/मानदेय की स्वीकृति के संबंध में।

(ख C.B.S.E. पाठ्यक्रम के अनुरुप कुछेक विषयों यथा–वाणिज्य, लेखाकर्म एवं व्यवसायिक प्रबंधन यथा मीडिया प्रबंधन का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति के संबंध में।

(ग) नेतरहाट विद्यालय सहित समिति कार्यालय, राँची हेतु अतिरिक्त पदों–शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सृजन हेतु प्रशासी विभाग को समर्पित प्रस्ताव के क्रम में अद्यतन प्रगति की समीक्षा।

(घ) पूर्व विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री प्रयाग दुबे द्वारा अपने कार्यकाल में वित्त विभागीय अनुदेश के विपरीत मानदेय एवं अन्य भत्तों के रूप में लिए गए अधिकाई भुगतान के रू. 8,62,813/– की वापसी से संबंधित गतिरोध की स्थिति की समीक्षा।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कृष्ण कुमार नाग
22.07.2017

(कृष्ण कुमार नाग)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति